



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

ज्ञापांक : नि० प्रा०/आ० 3-02/2019 2295 /पटना, दिनांक 11/12/2019

प्रेषक : रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
जमुई/ किशनगंज, मधेपुरा।

विषय : वित्तीय वर्ष, 2019-20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन- माँग संख्या-33-उपशीर्ष-0001-बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु- विषय शीर्ष-0001-11-01-यात्रा व्यय इकाई में पैक्स निर्वाचन, 2019 के निमित्त राशि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष, 2019-20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, माँग संख्या-33-उपशीर्ष-0001-बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु, विषय शीर्ष-0001-11-01 यात्रा व्यय इकाई में पैक्स निर्वाचन, 2019 के निमित्त संलग्न अनुसूची-I के अनुसार CFMS के माध्यम से कुल अतिरिक्त राशि ₹ 8,94,000/- (आठ लाख चौरानवे हजार रुपये) आवंटित की जाती है।

2. मतदान कर्मियों/ मतगणना कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता के भुगतान हेतु निर्धारित दर की विवरणी अनुसूची- II एवं अनुसूची- III इसके साथ संलग्न है, जिसके अनुसार राशि का भुगतान किया जायेगा।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वामाभाजन,

(रंजना कुमारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2295

/पटना, दिनांक 11/12/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोक्त।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2295

/पटना, दिनांक 11/12/2019

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, जमुई/ किशनगंज/ मधेपुरा को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोक्त।

संयुक्त सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांक : 2295

/पटना, दिनांक 11/12/2019

प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, जमुई/ किशनगंज/ मधेपुरा को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोक्त।

11.12.19

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2295

/पटना, दिनांक 11/12/2019

प्रतिलिपि: जिला सहकारिता पदाधिकारी, जमुई/ किशनगंज/ मधेपुरा को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोक्त।

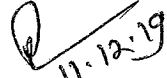
11.12.19

संयुक्त सचिव।

अनुसूची-1

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष -2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष -001- निदेशन तथा प्रशासन- माँग संख्या -33- उपशीर्ष -0001- बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु के अन्तर्गत, विषय शीर्ष-0001-11-01- यात्रा व्यय इकाई में पैक्स निर्वाचन, 2019 के निमित्त विभिन्न जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को जिलावार अतिरिक्त राशि का आवंटन:-

क्र० सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4
1	जमुई	₹ 2,53,000/- (दो लाख तिरपन हजार रुपये)	
2	किशनगंज	₹ 3,83,000/- (तीन लाख तिरासी हजार रुपये)	
3	मधेपुरा	₹ 2,58,000/- (दो लाख अनठावन हजार रुपये)	
कुल योग:		₹ 8,94,000/- (आठ लाख चौरानवे हजार रुपये)	


(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

अनुसूची- II

पैक्स चुनाव, 2019 हेतु यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता मद का निर्धारित दर विवरणी:-
(यात्रा व्यय मद)

क्र०	कर्मियों का पदनाम	प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या	मतदान कार्य के दिनों की संख्या	कुल दिनों की संख्या (कॉलम 3+4)	दर	कुल भुगतेय राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चुनाव पर्यवेक्षक	01 दिन (एक दिन)	01 दिन (एक दिन)	02 दिन (दो दिन)	1000x2 x1= ₹ 2,000/-	₹ 2,000/- (दो हजार मात्र) (दो दिन हेतु एक चुनाव पर्यवेक्षक के लिए)	-
2	पीठासीन पदाधिकारी-1	01 दिन (एक दिन)	02 दिन (दो दिन)	03 दिन (तीन दिन)	350x3 x1= ₹ 1,050/-	₹ 1,050/- (एक हजार पचास रुपये मात्र) (तीन दिन हेतु एक पीठासीन पदाधिकारी के लिए)	-
3	पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट-1	01 दिन (एक दिन)	01 दिन (एक दिन)	02 दिन (दो दिन)	₹ 350 /- (एक दिन के प्रशिक्षण के लिए)	₹ 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) (एक दिन के प्रशिक्षण के लिए ₹ 350 /- सहित मतदान/ मतगणना कार्य के लिए एक पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को एक मुश्त)	-
4	मतदान पदाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय (तृतीय वर्ग के दो कर्मों)	01 दिन (एक दिन)	02 दिन (दो दिन)	03 दिन (तीन दिन)	250x3 x2= ₹ 1,500/-	₹ 1,500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये मात्र) (तीन दिन हेतु दो मतदान पदाधिकारी के लिए)	-
5	मतदान पदाधिकारी तृतीय (चतुर्थ वर्ग के एक कर्मों)	01 दिन (एक दिन)	02 दिन (दो दिन)	03 दिन (तीन दिन)	150x3 x1= ₹ 450/-	₹ 450/- (चार सौ पचास रुपये मात्र) (तीन दिन हेतु एक मतदान पदाधिकारी के लिए)	-
6	सेक्टर मजिस्ट्रेट-1	01 दिन (एक दिन)	01दिन (एक दिन)	02 दिन (दो दिन)	500x2 x1= ₹ 1,000/-	₹ 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) (दो दिन हेतु एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए)	-
7	सरकारी वाहन चालक-1	-	02 दिन (दो दिन)	02 दिन (दो दिन)	250x1 x2= ₹ 500/-	₹ 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) (दो दिन हेतु एक चालक के लिए)	-

(रंजना कुमारी)

संयुक्त सचिव।

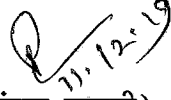
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

अनुसूची-III

पैक्स चुनाव, 2019 हेतु यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता का निर्धारित दर विवरणी:-

(यात्रा व्यय मद)

क्र०	कर्मियों का पदनाम	प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या	मतगणना कार्य के दिनों की संख्या	कुल दिनों की संख्या (कॉलम 3+4)	दर	कुल भुगतेय राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मतगणना पर्यवेक्षक-1	01 दिन (एक दिन)	01 दिन (एक दिन)	02 दिन (दो दिन)	350x2 x1= ₹ 700/-	₹ 700/- (सात सौ रुपये मात्र) (दो दिन हेतु एक मतगणना प्रवेक्षक के लिए)
2	मतगणना सहायक-3	01 दिन (एक दिन)	01 दिन (एक दिन)	02 दिन (दो दिन)	250x2 x3= ₹ 1,500/-	₹ 1,500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये मात्र) (दो दिन हेतु तीन मतगणना सहायक के लिए)


(रंजना कुमारी)

संयुक्त सचिव।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।